



(21)

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. ~~1008~~ विविध - 6055/2018/सिंगरौली/भू.क.

श्री सतेन्द्र सिंह थाकड़
द्वारा आज दि 6-10-18 को
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 16-10-18 नियत।

बलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
6/10/18

नसीरुद्दीन मृत वारिसान

1. आफताब अहमद
 2. मेराजुद्दीन
 3. मेहताब अहमद
 4. समसा बेगम
 5. सालहा बेगम
 6. रेहाना बेगम
- पुत्रगण स्व.
श्री नसीरुद्दीन मुसलमान
पुत्रीगण स्व. श्री नसीरुद्दीन
निवासी ग्राम गनियारी तहसील
बैढन जिला सिंगरौली म.प्र.

— आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा नायब तहसीलदार
सिंगरौली

— अनावेदक

सतेन्द्र सिंह थाकड़
06.10.18

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय
नायब तहसीलदार बैढन(सिंगरौली) जिला सिंगरौली के प्र.क.
95/अ-06/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 03.03.1993 के विरुद्ध
जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि आवेदन पत्र प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य:-

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, ग्राम गनियारी तहसील बैढन जिला सिंगरौली के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा

35

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - विविध-6055/2018/सिंगरौली/भू.रा.

नसीरूद्दीन (मृत) विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-06-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अधिवक्ता श्री एस.पी.धाकड़ एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित । उभय पक्ष के प्रकरण में प्रारम्भिक तर्क सुने गये । आवेदक का तर्क है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-03-1993 के आदेश का पालन निम्न न्यायालय द्वारा नहीं किया जा रहा है ।</p> <p>मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह आवेदन पत्र म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परीक्षण किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03-03-1993 को आदेश पारित किया गया है । लगभग 25 वर्ष पश्चात इस न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है । आवेदक द्वारा अपने आवेदन में धारा 32 के अंतर्गत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया है जिससे आवेदन स्पष्ट नहीं होने से त्रुटिपूर्ण है ।</p> <p>मेरे मतानुसार उक्त आवेदन उसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जिसके आदेश का पालन होना है, जिससे प्रकरण का संक्षिप्त विधि अनुसार निराकरण हो सके ।</p> <p>अतः धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन प्रथमदृष्टया सुनवाई योग्य नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है ।</p> <p>(महेश चंद्र चौधरी) सदस्य</p>	

